बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 11 अंक 291

उपाय सही, अमल कठिन

नीति (नैशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) आयोग ने किसानों को प्रति वर्ष, प्रति हेक्टेयर 15,000 रुपये की राशि प्रत्यक्ष आय समर्थन के रूप में देने की अनुशंसा की है। यह उपाय कहीं राजकोषीय दु:स्वप्न न साबित हो, इसके लिए आयोग ने सुझाव दिया है कि कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली उर्वरक, बिजली, फसल बीमा, सिंचाई, ब्याज में छूट समेत हर तरह की सब्सिडी समाप्त कर दी जाए और इससे होने वाली तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपये की बचत सीधे किसानों के खाते में डाल दी जाए। यह प्रस्ताव दो कारणों से उचित प्रतीत होता है। पहला, मौजूदा सब्सिडी का वितरण निहायत गैर किफायती अंदाज में होता है और किसानों के खाते में प्रत्यक्ष हस्तांतरण कहीं अधिक किफायती विकल्प है। दूसरी वजह यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के उलट प्रत्यक्ष आय समर्थन से बाजार में विसंगति नहीं पैदा होती है। न ही इससे जुड़ा अन्य कोई नुकसान है। यह तरीका दुनिया भर में कहीं अधिक स्वीकार्य है और यह विश्व व्यापार संगठन की मांग के अनुरूप होने के साथ-साथ कहीं अधिक समावेशी और समतामूलक भी है।

इस बात के प्रमाण भी बढ़ रहे हैं कि ऐसी प्रत्यक्ष नकदी समर्थन योजनाएं राजनीतिक तौर पर भी लाभदायक साबित हो रही हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की रैयत बंधु योजना इसका महत्त्वपूर्ण उदाहरण है। तेलंगाना में कृषि कार्य करने वाले लोगों की तादाद राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। अन्य राज्यों की तरह यहां भी अब तक ढेर सारी सब्सिडी और कृषि कर्ज माफी की जाती थी। रैयत बंधु योजना सभी खेत मालिकों को प्रति एकड़ 4,000 रुपये प्रदान करती है। अगर जमीन दो फसल वाली है तो यह राशि दोगुनी कर दी जाती है। हालिया चुनाव में टीआरएस की भारी जीत में इस योजना का भी प्रभाव माना जा रहा है। इस योजना के दो अहम पहलू हैं। पहला, यह हस्तांतरण मौजूदा सब्सिडी के स्थान पर नहीं किया जाता है। दूसरा, इसका डिजाइन ऐसा है कि जमीन मालिकों को लाभ पहुंचा लेकिन भूमिहीन श्रमिक इससे वंचित रहे। ओडिशा एक अन्य राज्य है जिसने कुछ बदलाव के साथ इसे अपनाने का प्रस्ताव रखा है। ओडिशा की कालिया (कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड ऐंड इनकम असिस्टेंस) योजना के तहत सभी छोटे और सीमांत किसानों तथा किराये पर खेती करने वाले और बटाईदारों को प्रति एकड़ प्रति सीजन 5,000 रुपये की राशि देती है। बहरहाल, हमारे देश में लक्षित आय समर्थन योजनाओं को लागू करने में एक अहम समस्या है। इसका संबंध मौजूदा सब्सिडी को खत्म करने में आने वाली दिक्कत से है। आय समर्थन योजना तभी सही ढंग से काम कर सकती है जबकि हर तरह की सब्सिडी समाप्त कर दी जाए। देश में व्याप्त गरीबी और सब्सिडी को समाप्त करने में राजनेताओं की अनिच्छा को देखते हुए अधिक संभावना इसी बात की है कि आय समर्थन योजना को सब्सिडी के अलावा लागू किया जाएगा। यहां ऐसी योजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता को लेकर प्रश्न उत्पन्न होता है। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकार तनाव में हैं और काफी संभव है कि सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटे और सार्वजनिक ऋण के लिए तय लक्ष्य प्राप्त न हो पाएं। इस योजना की दूसरी कमी यह है कि भारत में भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकृत नहीं हैं और बिना उनके इस योजना का क्रियान्वयन लगभग असंभव है। यह बहस जारी रहेगी और इस बीच सरकार को विपणन के बुनियादी ढांचे, भंडारण और खाद्य प्रसंस्करण आदि में निवेश बढ़ाने और किसानों को अपनी उपज पंजीकृत बाजार में बेचने के लिए बाध्य करने के बजाय कृषि उपज संस्थानों को सीधे बेचने देने की सुविधा देने पर विचार करना चाहिए।

बिनय सिन्हा

परमाणु शस्त्र सबसे पहले प्रयोग न करने की नीति

सबकी भलाई इसी में है कि परमाणु हथियारों को पहले इस्तेमाल में न लाने की नीति पर गंभीरतापूर्वक अमल किया जाए। भारत के लिए बेहतर यही है कि इन हथियारों की महत्ता कम से कमतर हो। बता रहे हैं नितिन पई

अपने पिछले स्तंभ में मैंने यह दलील दी थी कि अब जबकि भारत ने भूमि, वायु, समुद्र और समुद्र की सतह के नीचे भी प्रतिरोधात्मक परमाणु हमले की क्षमता हासिल कर ली है तो उसे अपनी नाभिकीय नीति को लेकर एक नया रुख अपनाना चाहिए। मैंने कहा था, ' प्रतिरोध क्षमता की त्रयी पूरी करने के बाद अब आवश्यकता इस बात की है कि भारत की परमाणु हथियार संबंधी नीति की समीक्षा की जाए। अब जबकि हम विश्वसनीय दूसरी प्रहार क्षमता हासिल करने की स्थिति में हैं, ऐसे में हमारा ध्यान अंतरराष्ट्रीय परमाणु हथियार नियंत्रण व्यवस्था को लेकर चर्चा के बजाय एक ऐसी विश्व व्यवस्था कायम करने पर होना चाहिए जहां व्यापक संहार वाले इन हथियारों का इस्तेमाल न किया जाए।'

मैंने इसके आगे यह हिमायत भी की थी कि भारत चीन तथा अन्य परमाणु क्षमता संपन्न देशों के साथ मिलकर परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल न करने की नीति पर आगे बढ़े जहां दुनिया के सभी प्रमुख परमाणु क्षमता संपन्न देश यह घोषणा करें कि वे पहले हमला नहीं करेंगे। यह काम आसान नहीं है। जाहिर सी बात है केवल पहले इस्तेमाल न करने की बात ही परमाणु युद्ध न छिड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। परंतु इन सब बातों के बावजूद यही एकमात्र उपाय है जिसकी सहायता से चाही या अनचाही परमाणु त्रासदी को रोका जा सकता है।

भारत संभवत: एकमात्र ऐसा परमाणु क्षमता संपन्न देश है जो इस दिशा में पहल को आगे बढ़ा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत स्वयं पहले परमाणु हथियार न इस्तेमाल करने की नीति का समर्थक है। अगर इसे लेकर हमारी प्रतिबद्धता कमजोर पड़ती है तो विश्व स्तर पर इसका अगुआ बनने की हमारी क्षमता पर भी नकारात्मक असर होगा। यही वजह है कि पिछले दिनों मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित कुणाल सिंह के लेख को बहुत सावधानीपूर्वक पढ़ा। अत्यंत तार्किक ढंग से लिखे गए उस लेख में देश के पहले हथियार इस्तेमाल न करने के सिद्धांत को लेकर नए ढंग से बातें कही गई थीं।

सिंह देश के पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल न करने की नीति की समीक्षा की तीन वजह बताते हैं। पहली, भारत को चीन की बढ़ती श्रेष्ठता से निपटने के लिए परमाणु हथियारों पर भरोसा करना होगा। दूसरा, पाकिस्तान द्वारा परमाणु हथियार क्षमता हासिल करने के बाद भारत के लिए यह जरूरी है कि वह उनका इस्तेमाल रोकने के लिए अपनी ताकत का प्रदर्शन करे। तीसरा, भारत के पास तकनीकी पहुंच है जो उसके लिए हमलावर रुख को आसान बनाती है। 15 साल पहले हालात ऐसे नहीं थे जबकि यह सिद्धांत उस समय गढ़ा गया था।

जरा इनमें से हर दलील का परीक्षण करते हैं। पहली बात, चीन की पारंपरिक सैन्य बढ़त हकीकत है लेकिन इसका मुकाबला बिना परमाणु सिद्धांत को बदले भी किया जा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि चीन की सारी सेना और उसकी सारी सैन्य शक्ति हमारे खिलाफ होगी क्योंकि उसके कई अन्य मजबूत शत्रु भी हैं। इसका एक अर्थ यह भी है कि हमें चीन के शत्रुओं के साथ तालमेल बनाकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह तमाम अन्य जगहों पर भी जूझता रहे। इसका एक अर्थ यह भी है कि हमें अपनी सेना के आधुनिकीकरण के काम को गंभीरता से लेना होगा। निष्क्रिय खरीद तंत्र को ठीक करना और बढ़ते राजकोषीय व्यय को कम करना हमारी शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए।

मेरे नजरिये में हम चीन की सैन्य तैयारियों से ऐसे तरीके से भी निपट सकते हैं।

इसके अलावा अगर मैं थोड़ी छूट लूं तो कह सकता हूं कि चीन के रणनीतिकार हमारी पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल न करने की घोषणा पर यकीन ही नहीं करते। इससे पहले परमाणु सिद्धांत को लेकर एक स्तंभ में मैंने कहा था कि पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल न करने की किसी पक्ष की घोषणा का यह अर्थ नहीं है कि उसका प्रतिद्वंद्वी भी चौंकाने वाला ऐसा हमला नहीं करेगा। किसी परमाणु हमले की स्थिति में जिस देश को यह हमला झेलना पड़ेगा उसे अभूतपूर्व नुकसान होगा। शायद यही वह डर है जो किसी देश को इन हथियारों का पहले इस्तेमाल करने से रोक सकता है। परमाणु प्रतिरोध का सार तत्त्व यही है।

दूसरी बात, क्या हमें पाकिस्तान की परमाणु हथियार इस्तेमाल में लाने की तैयारी की बहुप्रचारित बात का जवाब पहले हमले की तैयारी के साथ करना चाहिए? यह मानने की कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान का सैन्य-जिहादी गठजोड़ भारत की ऐसी किसी पहल के बाद सीमा पार आतंकवाद का इस्तेमाल करने से दूरी बनाएगा।

बल्कि अगर ऐसा हुआ तो आतंकवाद कहीं अधिक उपयोगी साबित होगा। अगर आतंकवादी हमले और परमाणु हमले के बीच का अंतराल कम होता है तो पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान के लिए हमें ब्लैकमेल करना कहीं अधिक आसान हो जाएगा और यह बाकी दुनिया के लिए भी परेशान करने वाली बात होगी। ऐसी कोई परिस्थिति तैयार करने से बेहतर होगा कि हम अपनी मौजूदा स्थिति पर ही टिके रहें: यानी परमाणु हमले का व्यापक प्रतिरोध किया जाएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान अपने हथियारों को सामरिक कहता है या युद्धक, वह अगर उन्हें हमारे क्षेत्र में या हमारी सेना के खिलाफ इस्तेमाल करता है तो उसे इसका भीषण प्रतिरोध का सामना करना होगा।

तीसरी बात, नई तकनीक की उपलब्धता और देश के हथियार जखीरे का आधुनिकीकरण होने से सिद्धांत में बदलाव की कोई आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती। पहले इस्तेमाल के हिमायतियों को यह पता है कि पहले इस्तेमाल करने की क्या लागत आ सकती है। उसके लिए कमांड और नियंत्रण का बुनियादी ढांचा विकसित करने और उसका प्रबंधन करने में काफी धन राशि की आवश्यकता हो सकती है। परंतु अभी भी इस बात को लेकर कुछ ही लोग चिंतित हैं कि इससे हथियारों की होड़ उत्पन्न होगी। इस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा बल्कि धरती की सुरक्षा को भी आनुपातिक रूप से जोखिम होगा। शीतयुद्ध के दौरान की अमेरिकी और सोवियत परमाणु नीति हमें यह चेतावनी देने के लिए पर्याप्त है कि आगे चलकर हम ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाएंगे जहां परमाणु हथियार तो प्रचुर मात्रा में होंगे जबकि सुरक्षा कम से कमतर होती जाएगी। इसमें दो राय नहीं कि देश की सरकार को अपनी परमाणु हथियार नीति की नियमित और आधिकारिक समीक्षा करनी चाहिए। पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल न करने की नीति को जारी रखने या उसे खारिज करने को लेकर अकादमिक बहस होती रहनी चाहिए। ऐसा करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। फिलहाल किसी बड़े बदलाव की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत यह बात काफी हद तक देश के हित में है कि हम ऐसी कूटनीति में निवेश करें जहां परमाणु हथियारों की प्रमुखता कम से कमतर होती जाए।

मध्यस्थता से विवाद समाधान में आड़े आ रहीं कई अड़चन

अदालती आईना

एम जे एंटनी

लोकसभा ने करीब एक वर्ष पहले नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक 2018 पारित किया था ताकि कुछ मसले हल हो सकें

सरकार, विभिन्न निगम और विधि व्यवसाय से जुड़े लोग पिछले कई दशकों से यह प्रयास करते रहे हैं कि देश को मध्यस्थता केंद्र के रूप में आकर्षक बनाया जा सके। परंतु लंदन, सिंगापुर और अन्य विदेशी केंद्र आज भी विभिन्न अनुबंधों की पहली पसंद बने हुए हैं। इसकी कई वजह हैं। मिसाल के तौर पर अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं, कानूनी अनिश्चितता, अंतहीन देरी और अस्पष्ट न्यायिक प्रक्रिया आदि। लोकसभा ने करीब एक वर्ष पहले नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक 2018 पारित किया था ताकि कुछ मसले हल हो सकें लेकिन ऐसा लगता नहीं कि निकट भविष्य में इसका प्रवर्तन होगा।

इस बीच सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों पर एक दृष्टि डालें तो वर्ष 2015 में मध्यस्थता अधिनियम में कुछ बदलाव के बावजूद मध्यस्थता प्रक्रिया में कुछ गंभीर कमियां उजागर होती हैं। जो अपील उच्चतम न्यायालय तक पहुंचती हैं, उनमें कुछ समस्याओं के लक्षण नजर आते हैं।

असहमति का एक प्रमुख बिंदु है मध्यस्थों का चयन। सर्वोच्च न्यायालय ने अफसरशाहों और अधिकारियों को अनिवार्य तौर पर अपने ही मामलों में मध्यस्थ बनाए जाने के खिलाफ कई पत्र लिखे हैं लेकिन यह सिलसिला जारी है। हालांकि संशोधित कानून में दो अनुसूचियां हैं जिनमें कहा गया है कि कुछ खास लोग मध्यस्थ के रूप में काम नहीं करेंगे। यह मुद्दा अक्सर पहली बाधा बनता है। विभिन्न पक्ष मध्यस्थ के चुनाव को लेकर उलझ जाते हैं, इससे उसकी स्वायत्तता और निष्पक्षता को लेकर प्रश्न खड़ा हो जाता है। न्यायालयों ने भी इसे लेकर भ्रम समाप्त नहीं किया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शंस और राज्य के मामले में कहा था कि अगर मध्यस्थ किसी एक पक्ष का नियोक्ता है तो यह अपने आप में पूर्वग्रह या उसकी ओर से निष्पक्षता की कमी की वजह नहीं हो सकता। अदालत ने कहा था कि लोक निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त एक इंजीनियर विभाग और एक ठेकेदार के बीच के मामले (पीडब्ल्यूडी और जीएफ टोल रोड लिमिटेड) में मध्यस्थता कर सकता है। दूसरी ओर, झारखंड उच्च न्यायालय ने एक मामले में कहा कि एक निजी फर्म को उन अधिकारियों की मर्जी पर छोड़ देना ठीक नहीं है जिनके खिलाफ शिकायत की गई हो। उसने कहा कि इससे पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता और निष्पक्षता बाधित होती है (साहिल प्रोजेक्ट्स और पूर्वी रेलवे)।

हमारे यहां ऐसे लोग भी नहीं हैं जिन्हें मध्यस्थता में विशेषज्ञता हासिल हो। ऐसे में ले देकर सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही बचते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा था कि ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति न केवल महंगी पड़ती है बल्कि उनमें मामले को लंबा खींचने की प्रवृत्ति भी होती है। एक सत्र तो अगली बैठक की तारीख तय करने में ही निकल जाता है। कुछ सप्ताह पहले राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को इसलिए अयोग्य घोषित कर दिया क्योंकि उन्होंने एक मामले के लिए 75 लाख रुपये मांगे थे।

विभिन्न पक्षों का आचरण, खासतौर पर कानूनी मामलों से जुड़े भारी भरकम फंड दबाए सरकारी संस्थानों के आचरण को लेकर कई टिप्पणियां की जाती रही हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति न करने के कारण उस पर भारी जुर्माना लगाया था। एनएचएआई से जुड़े एक अन्य मामले में अदालत ने लिखा, 'हमें प्रतीत होता है कि यह अदालत सरकारी कंपनियों द्वारा मध्यस्थता निर्णयों के खिलाफ चुनौतियों से भरा हुआ है। इन मामलों में मध्यस्थ के निष्कर्षों की पुन: जांच की मांग की गई है। ऐसे मामले अधिनियम के उद्देश्य को ही परास्त करते हैं।'

मध्यस्थता के मामलों में सरकारी संस्थानों द्वारा एक दूसरे से उलझना नया नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने इन्हें रोकने का प्रयास किया है लेकिन वह नाकाम रहा है। सरकार ने ऐसे मामलों में सरकारी धन के उपयोग की निगरानी के लिए एक समिति बनाई थी लेकिन उसके खात्मे के बाद ऐसे मामलों पर किसी तरह की कोई रोकटोक नहीं है। मध्यस्थता के मामलों में देरी से प्रक्रिया का नाम भी खराब होता है। एक मामले में एस्सेल इन्फ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड देरी से हताश थी, उसने इसे तेज करने में सर्वोच्च न्यायालय की सहायता मांगी। परंतु उसने केवल ऐसे सुझाव दिए जो अनिवार्य नहीं थे। अदालत ने हुंडई और ओएनजीसी के बीच के दो दशक पुराने मामले में एक नए निर्णयकर्ता की नियुक्ति कर दी।

कानून की तकनीकी बातें भी प्रक्रिया को निर्लंबित कर सकती हैं। मध्यस्थता के स्थान और सीट की व्याख्या को लेकर उपजे विवाद के बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय के एक बड़े पीठ के पास भेजना पड़ा। हममें से अधिकांश लोग यह यकीन करते हैं कि अनुबंध तैयार करने वाले शीर्ष अधिवक्ता उनमें कोई खामी नहीं छोड़ेंगे। परंतु न्यायाधीशों को कई समझौतों के मामले में मध्यस्थता का प्रावधान खोजना पड़ा है। उन्हें यह मौखिक आश्वासन और विभिन्न पक्षों के बीच के संवाद और बिना हस्ताक्षर वाले दस्तावेजों में भी मिला है।

ये सारे उदाहरण बताते हैं कि मध्यस्थता के मामलों में इतनी समस्या क्यों आ रही है। ऐसी तमाम दिक्कतें हैं। प्रस्तावित विधेयक ने सैद्धांतिक पहलुओं को छुआ है लेकिन अगर यह पारित भी हो गया तो भी यह क्रियान्वयन के स्तर पर मौजूद समस्याओं को हल नहीं कर पाएगा।

कानाफूसी

कौशल कथाएं

अगर आपको लगता है कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही संचार माध्यमों पर सरकार की विभिन्न पहल के बारे में बात करते हैं तो आपके लिए एक नई जानकारी प्रस्तुत है। सरकार ने लेखक, गीतकार और पटकथा लेखक नीलेश मिश्रा से संपर्क किया है ताकि वह सरकार की कौशल विकास संबंधी पहल से लाभान्वित हुए युवाओं के किस्सों को रेडियो के माध्यम से देश के समक्ष प्रस्तुत करें। इन हाथों से बन रहा भारत नामक यह कार्यक्रम एक निजी रेडियो स्टेशन पर सप्ताह में दो दिन प्रसारित किया जाएगा। हालांकि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि ये कहानियां सच्ची घटनाओं पर आधारित होंगी या फिर मिश्रा के अन्य रेडियो कार्यक्रमों की तर्ज पर ये भी केवल कहानियां होंगी।

आया चुनावी मौसम

वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर एकत्रित प्रवासी भारतीयों, भारतीय मूल के लोगों तथा विदेशी नागरिकों को संबोधित करते हुए घोषणा की गई कि वे अपने मोबाइल फोन में नमो ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उद्घोषिका ने कहा कि इस ऐप को आयोजन स्थल पर बने विशेष डिजिटल बूथ पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। यह बूथ एक फोटोबूथ के बगल में स्थित था जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल कटआउट के साथ सेल्फी ली जा सकती थी। गौरतलब है कि नमो ऐप का संचालन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) करती है। ऐसा लग रहा है कि चुनावी मौसम की शुरुआत हो चुकी है।

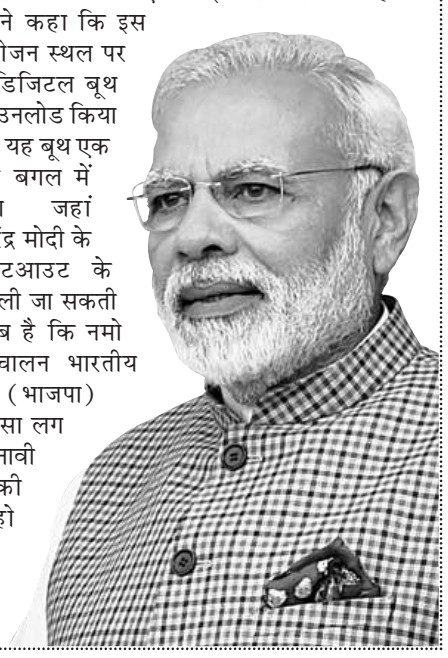

आपका पक्ष

बेहतर ई-कॉमर्स नीति निर्माण जरूरी

ई-कॉमर्स की बेहतर नीति बनाने के लिए निजी ब्रांड की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। हालांकि सरकार ने ऐसी बिक्री पर दिए गए अपने फैसले के एक सप्ताह बाद ही अपना रुख बदल दिया था। सरकार के रुख बदलने के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों की आक्रामक नीति काम कर गई थी। सरकार द्वारा निजी ब्रांडों की बिक्री की रोक के आदेश ने देश की दो बड़ी प्रतिस्पर्धी ई-कॉमर्स कंपनियों को एकजुट कर दिया था। इन दोनों कंपनियों के पास 200 श्रेणियों के 30 निजी ब्रांड हैं। अपने निजी ब्रांड का विस्तार करने के लिए कंपनियों ने 1.5 अरब डॉलर खर्च किए थे। सरकार के रोक के आदेश के बाद डीआईपीपी विभाग ने स्पष्टीकरण जारी किया था। विभाग ने कहा था कि मार्केट प्लेस के जरिये निजी ब्रांड के उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध पर चिंता जताई गई है। निजी ब्रांड के कारोबार में बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों ने काफी खर्च किया है। अगर सरकार प्रतिबंध लगाती है तो काफी नुकसान होगा।

राकेश जैन, सतना

सही कदम आरक्षण

इसमें दो मत नहीं है कि जो वर्षों से निर्धनता का जीवन जीने को अभिशप्त थे अब गरीब सवर्ण आरक्षण से सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को भी दिशा मिलेगी। पहले से एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के लोगों को इसका फायदा मिलता रहा है। सवर्ण लोग इससे वंचित थे। अब सरकार का फर्ज है कि पिछड़े लोगों को चिह्नित कर भेदभाव बगैर पिछले पायदान पर खड़े लोगों को लाभ दे।

रंजीत मिठौलिया, हुगली

ई-कॉमर्स कंपनियों तथा खुदरा कारोबारियों को राहत देने वाली नीति बनाई जानी चाहिए

असंवैधानिक नहीं है सवर्ण आरक्षण

भले ही संविधान में 50 फीसदी से अधिक आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय का संविधान पीठ भी इससे सहमत नहीं हो फिर भी गरीब सवर्णों को आरक्षण दगने का सरकार का सही और स्वागत योग्य कदम है। क्योंकि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण का आधार न केवल जातिगत, सामाजिक, शैक्षणिक है बल्कि आर्थिक भी है। अगर सरकार संविधान में निहित आरक्षण को बरकरार रखते हुए गरीब सवर्णों को भी 10 प्रतिशत आरक्षण देती है तो इसका सभी को स्वागत करना चाहिए, न कि इसे संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताकर सर्वोच्च न्यायालय में ले जाना चाहिए।

अनिल कोथुलकर, इंदौर

रोजगार ज्यादा जरूरी

देश में मूल समस्या आरक्षण नहीं बल्कि रोजगार का है। अगर नौकरियां है ही नहीं तो फिर महज आरक्षण की घोषणा का क्या औचित्य है। आज केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 4 लाख तथा राज्य सरकारों के पास लगभग 20 लाख पद रिक्त है। सिर्फ वित्तीय खर्च बचाने के लिए सरकार इन पदों पर नियुक्तियां करने का प्रावधान नहीं कर रही है। सरकारी पदों पर नौकरियां है ही नहीं, साथ ही निजी क्षेत्र में पिछले एक साल में एक करोड़ नौकरियां कम हो गई हैं। सरकार सही में रोजगार को लेकर गंभीर होती तो आरक्षण के बजाय रोजगार को अधिक महत्त्व देती।

संतोष एम चोरडिया, पुणे

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।